सहकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 16

सहकारिता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1471.74	164.78	1636.52	1149.38	1.00	1150.38	746.34	1.50	747.84	1182.38	1.01	1183.39
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1471.74**	**164.78**	**1636.52**	**1149.38**	**1.00**	**1150.38**	**746.34**	**1.50**	**747.84**	**1182.38**	**1.01**	**1183.39**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	20.78	164.78	185.56	59.59	1.00	60.59	26.94	1.50	28.44	27.93	0.63	28.56
1.02 अन्य संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	5.03	...	5.03	15.41	...	15.41	17.36	...	17.36	10.46	0.38	10.84
जोड़- सचिवालय	*25.81*	*164.78*	*190.59*	*75.00*	*1.00*	*76.00*	*44.30*	*1.50*	*45.80*	*38.39*	*1.01*	*39.40*
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
2. समेकित कृषि सहकारिता योजना (आईएसएसी)	376.93	...	376.93	0.01	...	0.01	300.00	...	300.00	...	...	...
3. सहकारी शिक्षा	...	...	...	30.00	...	30.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. सहकारी प्रशिक्षण	...	...	...	25.00	...	25.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5. सहकारी चीनी मिल के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अनुदान	500.00	...	500.00	...	...	...	0.01	...	0.01	500.00	...	500.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**876.93**	**...**	**876.93**	**55.01**	**...**	**55.01**	**300.03**	**...**	**300.03**	**500.02**	**...**	**500.02**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी)	35.75	...	35.75	40.00	...	40.00	42.00	...	42.00	43.00	...	43.00
7. वैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैम्नीकॉम),	38.25	...	38.25	11.12	...	11.12	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**74.00**	**...**	**74.00**	**51.12**	**...**	**51.12**	**52.00**	**...**	**52.00**	**55.00**	**...**	**55.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**74.00**	**...**	**74.00**	**51.12**	**...**	**51.12**	**52.00**	**...**	**52.00**	**55.00**	**...**	**55.00**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
8. प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण	495.00	...	495.00	968.24	...	968.24	309.09	...	309.09	500.00	...	500.00
9. सहकारिताओं के माध्यम से समृद्धि	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
10. आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करने वाली केंद्र प्रायोजित परियोजना	...	...	...	...	...	...	40.91	...	40.91	88.96	...	88.96
जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं	**495.00**	**...**	**495.00**	**968.25**	**...**	**968.25**	**350.01**	**...**	**350.01**	**588.97**	**...**	**588.97**
कुल जोड़	***1471.74***	***164.78***	***1636.52***	***1149.38***	***1.00***	***1150.38***	***746.34***	***1.50***	***747.84***	***1182.38***	***1.01***	***1183.39***
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	164.78	164.78	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सामान्य सेवाएं	**...**	**164.78**	**164.78**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
आर्थिक सेवाएं												
2. सहकारिता	1055.96	...	1055.96	116.04	...	116.04	382.95	...	382.95	683.44	...	683.44
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	20.78	...	20.78	59.59	...	59.59	26.94	...	26.94	27.93	...	27.93
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	1.00	1.00	...	1.50	1.50	...	1.01	1.01
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**1076.74**	**...**	**1076.74**	**175.63**	**1.00**	**176.63**	**409.89**	**1.50**	**411.39**	**711.37**	**1.01**	**712.38**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	5.50	...	5.50	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	389.31	...	389.31	968.25	...	968.25	300.13	...	300.13	415.72	...	415.72
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	5.69	...	5.69	...	...	...	6.32	...	6.32	5.29	...	5.29
जोड़-अन्य	**395.00**	**...**	**395.00**	**973.75**	**...**	**973.75**	**336.45**	**...**	**336.45**	**471.01**	**...**	**471.01**
कुल जोड़	**1471.74**	**164.78**	**1636.52**	**1149.38**	**1.00**	**1150.38**	**746.34**	**1.50**	**747.84**	**1182.38**	**1.01**	**1183.39**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सहकारिता मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है और इसमें सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय शामिल हैं।

2. **समेकित कृषि सहकारिता योजना (आईएसएसी):** यह सहकारिता मंत्रालय की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और अब तक इसकी सभी अनिवार्य गतिविधियों का ख्याल रखती रही है। तथापि, विस्तारित अधिदेश के साथ एक नए मंत्रालय के निर्माण के साथ, इस योजना को वित्त वर्ष 2022-23 से कई अन्य नई योजनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। तथापि, शेष अनसुलझे देनदारियों की देखभाल करने के लिए इस बजट शीर्ष के साथ केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है। व्यय विभाग ने वर्ष 2022-23 के भीतर सीसीईए के अनुमोदन के भीतर व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवगत करा दिया है। हालांकि, योजना की अनसुलझी देनदारियों को पूरा करने के लिए, ब.अ. 2023-24 में एक लाख रुपये के सांकेतिक आवंटन के साथ योजना को जारी रखने का प्रस्ताव है।

3. **सहकारी शिक्षा:** इस योजना का उद्देश्य सहकारी शिक्षा को पाठ्यक्रम के रूप में और स्कूलों और विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में शुरू करना है। यह सहकारिता के क्षेत्र में अनुसंधान पर भी ध्यान देगा। 2022-23 के लिए सहकारी शिक्षा योजना की परिकल्पना दिनांक 31.03.2023 के साथ सहकारी शिक्षा के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए पूँजी अनुदान के माध्यम से वीएएमएनआईसीओएम के भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत और उन्नत करने के लिए की गई है, जबकि वर्ष 2023-24 के लिए सहकारी शिक्षा की बड़ी योजना कार्यान्वयन के लिए तैयार की जा रही है।

4. **सहकारी प्रशिक्षण:** इस योजना का उद्देश्य देश में मौजूदा सहकारी प्रशिक्षण संरचना को मजबूत करना और एक नई योजना के माध्यम से प्रशिक्षण विधियों का आधुनिकीकरण करना है। 2022-23 और 2023-24 की अवधि के दौरान प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पीएसीएस, डेयरी और मत्स्य पालन समितियों, डीसीसीबी, एससीबी, राज्य और राष्ट्रीय सहकारी संघों के राज्य नोडल अधिकारियों कर्मचारियों सहित विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण देने के लिए सहकारी प्रशिक्षण की एक नई योजना की परिकल्पना की जा रही है। । प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य प्रतिभागियों को उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय की विभिन्न् नई योजनाओं से परिचित कराना है।

5. **सहकारी चीनी मिल के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अनुदान:** 'सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) को सशक्त करने हेतु एनसीडीसी को सहायता अनुदान' नामक एक नई योजना आरंभ की है । इस योजना के तहत भारत सरकार एनसीडीसी को दो वित्तीय वर्ष 2022-23 से शुरू के लिए 500 करोड़ रुपए की दो किश्त में कुल 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है । एनसीडीसी इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपए तक के ऋण प्रदान करने में करेगा । इस योजना के तहत एनसीडीसी द्वारा सहकारी चीनी मिलों को निम्नलिखित कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध होंगे:

क) एथनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए, या

ख) कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने के लिए, या

ग) कार्यशील पूंजी के लिए, या

घ) उपर्युक्त तीनों के लिए

6. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी):** एनसीसीटी देश में सहकारी प्रशिक्षण के आयोजन, निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एक सोसायटी है। यह प्रावधान सहायता अनुदान वेतन के लिए है।

7. **वैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (बैम्नीकॉम),:** यह एक राष्ट्रीय स्तर का सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है। यह एनसीसीटी के प्रशासनिक दायरे में आता है और वर्तमान में इसकी बजटीय आवश्यकताओं को एनसीसीटी को जारी सहायता अनुदान के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसे वित्त वर्ष 2022-23 के बाद से अपने स्वयं के बजटीय आवंटन के साथ एक पूर्ण स्वतंत्र संस्थान में बदलने की परिकल्पना की गई है।

8. **प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण:** इस योजना का उद्देश्य 63000 कार्यात्मक पैक्स का कम्प्यूटरीकरण करना है जिससे पैक्स के कामकाज में दक्षता, लाभप्रदता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हो सके।

9. **सहकारिताओं के माध्यम से समृद्धि:** अंब्रेला योजना -सहकारिता के माध्यम से समृद्धि- के तहत एक नई उप-योजना 'एनसीडीसी में पूंजी निवेश सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए' के नाम से है। मसौदा ईएफसी ज्ञापन को व्यय विभाग के सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद परिचालित किया गया है। चूंकि अम्ब्रेला योजना के तहत यह नई उप-योजना प्रक्रियाधीन है इसलिए आज की तारीख में कोई प्रतिबद्ध देयता नहीं है।

10. **आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करने वाली केंद्र प्रायोजित परियोजना:** आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना को 6.10.2023 को स्थायी वित्त समिति द्वारा 3 साल की अवधि के लिए 225.09 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत दो मुख्य उप-परियोजनाएँ हैं-

(1) एआरडीबी परियोजना का कम्प्यूटरीकरण सभी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) को एक सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ने की सुविधा के लिए सभी एआरडीबी को कम्प्यूटरीकृत करने की परिकल्पना करता है, उनके संचालन में दक्षता, जवाबदेही, पारदर्शिता लाना, सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के संचालन व्यवसाय और कार्यान्वयन में सटीकता और एकरूपता लाना, और लेन-देन की लागत कम करना और किसानों को ऋण वितरण बढ़ाना।

(2) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आरसीएस कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण में आरसीएस कार्यालयों के पूर्ण कागज रहित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आरसीएस के कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने की परिकल्पना की गई है, आईटी उन्मुख वर्कफ़्लो, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी अधिनियम और नियमों के अनुरूप, आरसीएस कार्यालयों में कार्य की दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि, बेहतर एनालिटिक्स एवं एमआईएस, और राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ जुड़ाव।